DoIT.C
Department of Information Technology & Communication, Rajasthan

ITUWTSA EXPO2024 New Delhi, India 14 - 24 October 2024

# राजस्थान सरकार
## सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांकः–F2(254)/DoIT&C/2022/ जयपुर, दिनांकः

## आदेश

राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 और स्पष्टीकरण क्रमांक प.14(88)वित्त(नियम)2008 दिनांक 12.01.2018 एवं प.15(88)वित्त/नियम/2017 दिनांक 27.02.2022 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को सूचना सहायक के पद पर 09 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर, उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 06 में उल्लेखित दिनांक से सूचना सहायक के पद की प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल–10 में स्वीकृत की जाती है:–

| क्र. सं. | मेरिट न. | सूचना सहायक का नाम | वर्तमान पदस्थापित विभाग/कार्यालय | सूचना सहायक के पद पर प्रथम कार्यग्रहण दिनांक | प्रथम ए.सी.पी. देय दिनांक | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1570 | रामकिशोर शर्मा | कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, चौमू (जयपुर) | 24.09.2013 | 24.09.2022 | – |
| 2 | 2798 | तरूण देवड़ा | कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार, जोधपुर) | 15.10.2013 | 15.10.2023 (नियम –17 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही कर कार्मिक की 1 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने पर एसीपी में 1 वर्ष की अभिवृद्धि की गई) | 9 वर्ष की एपीआर जांच के आधार पर |
| 3 | DDP | विजय पाल चौधरी | जिला रसद अधिकारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग, श्रीगंगानगर | 27.07.2015 | 03.08.2024 (07 दिवस का असाधारण अवैतनिक अवकाश अधिक लेने पर कार्मिक के परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की गई) | 9 वर्ष की एपीआर जांच के आधार पर |

* उपर्युक्त सारणी में क्र.सं 2,3 पर अंकित सूचना सहायकों के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्याकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्याकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्याकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा ।

उपरोक्त सभी सूचना सहायको का वेतन निर्धारण सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्त विभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 एवं अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार किया जाकर प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार कार्मिक की सेवा पुस्तिका मे किया जाना सुनिश्चित किया जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर भी यह सुनिश्चित किया जाये कि इन्हे:–

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में प्रथम आश्वारित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृत नही की गई है।
3. इनके विरूद्व सी.सी.ए. 16/17 के तहत कोई विभागीय/फौजदारी जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।
4. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आश्वारित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक सीसीए नियमों के तहत किसी प्रकार के दण्ड से दण्डित नही किया गया है।
5. गत सेवाकाल में वार्षिक वेतन वृद्धियां नियमित/निरन्तर मिल रही है।

**यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।**

(संजय जगदीश कर्णिक)
संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर।
2. सम्बंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. सम्बंधित सूचना सहायक।
5. सम्बंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

Document certified by SANJAY JAGDISH KARN[illegible]k[illegible]rajasthan.gov.in>.
Digitally Signed by Sanjay Jagdish Karnik
Designation : Head Of Office
Date :16-10-2024 01:14:25

आई. टी.बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलकमार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005, दूरभाष–[illegible]
वेबसाइट:-http://www.doitc.rajasthan.gov.in, ई–मेल: – oic.estt@ra[illegible]

RajKaj Ref No.: 11168424